ACE/No/Gen/24-25/084 13/12/2024

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

(अकादमिक शाखा)

क्रमांकः जनावि/अका/सीसीएस/24/1038 दिनांकः 12.12.2024

अधिसूचना

जबकि, शैक्षणिक सत्र 2023–24 से प्रभावी राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत आयोजित की गई विश्वविद्यालय की परीक्षाओं एवं उनके परिणामों के संबंध में कुछ प्रावधान जोड़े जाने आवश्यक है। इन प्रावधानों की मंजूरी के लिए फिलहाल अकादमिक परिषद् की बैठक आयोजित होने की संभावना नहीं है।

और जबकि, मामला अत्यावश्यक प्रकृति का है और समय में किसी भी तरह की देरी विश्वविद्यालय के साथ–साथ विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित के खिलाफ होगी।

मैं, कन्हैया लाल श्रीवास्तव, कुलपति, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, इस विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 12(5) के द्वारा प्रदत्त मुझमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त अधिष्ठाता एवं निदेशकों के साथ दिनांक 25.11.2024 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रम में एतद्द्वारा निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता हूँ –

1. शैक्षणिक सत्र 2023–24 से NEP-2020 पर आधारित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर की आयोजित परीक्षा में CA (Continuous Assessment) एवं EoSE (End of Semester Examination) दोनों में 100 अंक में से 40 प्रतिशत अंक (CCA+EoSE) प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उत्तीर्ण माना जायेगा। स्वयंपाठी विद्यार्थियों के लिए EoSE में प्रत्येक पेपर में 40 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण होने के लिए अनिवार्य होंगें।
2. NEP-2020 पर आधारित वाणिज्य स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थियों का सी.ए./सी.एस. इंटीग्रेटेड कोर्सेज की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को नियमित से स्वयंपाठी के रूप में परीक्षा दिये जाने की स्वीकृतियां दी जायेगी।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 पर आधारित पाठ्यक्रमों में एक्स–स्टूडेंट का प्रावधान नहीं है। शैक्षणिक सत्र 2023–24 के प्रथम सेमेस्टर के सतत् मूल्यांकन (CA) में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को पुनर्प्रवेश (Re-admission) लेना होगा एवं निर्धारित प्रवेश फीस पुनः भरनी होगी तथा ऐसे विद्यार्थी प्रवेश के नये प्रोसेस में शामिल नहीं होंगें। ऐसे विद्यार्थियों को संबंधित संकाय के अधिष्ठाता द्वारा निर्धारित तिथि से 15 दिवस में संबंधित संकाय में एडमिशन लेना आवश्यक होगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थियों को तीसरे सेमेस्टर से छठे सेमेस्टर तक कोई भी एक–एक स्किल कोर्स किसी भी संकाय से करना आवश्यक है।
5. 70:30 की स्कीम के CA (Continuous Assessment) में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की अगले सत्र में CA (Continuous Assessment) की परीक्षाएं 80:20 स्कीम में ही आयोजित होगी।
6. Skill Course के Mid-Term Exam दो युनिट में से लिया जा सकता है।

(प्रो. कन्हैया लाल श्रीवास्तव)
कुलपति

क्रमांकः जनावि/अका/सीसीएस/24/1038 दिनांकः 12.12.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूंचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अधिष्ठाता/समस्त निदेशक, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, ऑनलाईन सेल/वेबमास्टर, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
4. वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. समस्त प्राचार्य, संबद्धता महाविद्यालय, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
7. सहायक कुलसचिव, परीक्षा (प्री–परिणाम/पोस्ट–परिणाम), जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
8. समस्त सहायक कुलसचिव/संकाय प्रभारी/प्रभारी अधिकारी, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
9. निजी सचिव कुलपति/निजी सहायक कुलसचिव, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।

कुलसचिव

Forward to
NB/WB/App
Student Circulation
HOD's Exam Committee

13.12.24